उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) नियमावली, 1971

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) नियमावली, 1971

विद्युत (ख) विभाग विविध अधिसूचना संख्या 4562 ई एल/ तेईस–डी–262–ई एल/ 52,
दिनांक 7 जनवरी, 1953

निम्नलिखित द्वारा यथा संशोधित

(1) अधिसूचना संख्या 678 पी/ 71/ 23 पी0सी0– 179– 70,
दिनांक 6 मई, 1971

(2) अधिसूचना संख्या 500– पी– 3/ 97– 24– 1– डी0पी0/ 85,
दिनांक 18 अगस्त, 1997

(3) अधिसूचना संख्या 704 (डी)/पी0– 3– 98– 24– 1(डी0पी0)– 85,
दिनांक 1 अप्रैल, 1998

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम तेईस) की धारा 10 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

नियम–1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

यह नियमावली उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) नियमावली, 1952 कहलायेगी ।

नियम–2 परिभाषायें (1)विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस नियमावली में:–

(क)**"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 से है ।

(ख)**"ड्यूटी"** का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से है ।

(ग)**"विद्युत निरीक्षक"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक से है ।

(घ)**"उप विद्युत निरीक्षक"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे उप विद्युत निरीक्षक से है जो सम्बद्ध सम्भाग का प्रभारी हो अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे उप विद्युत निरीक्षक से है जो विद्युत निरीक्षक द्वारा किसी विशेष मामले के लिये प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(ड.)**"सहायक विद्युत निरीक्षक"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सहायक विद्युत निरीक्षक से है जो सम्बद्ध क्षेत्र या जोन का प्रभारी हो अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे "सहायक विद्युत निरीक्षक" से है, जो विद्युत निरीक्षक द्वारा किसी विशेष मामले के लिये प्रतिनियुक्त किया जाय ।

(च)**"सरकारी कोषागार"** का तात्पर्य सरकार के कोषागार या उप कोषागार से है ।

(छ)**"अन्य व्यक्ति"** का तात्पर्य किसी लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी के सिवाय, किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो विद्युत जनन के अपने श्रोत से विद्युत शक्ति (इलेक्ट्रिकल इनर्जी) उपभुक्त करता हो ।

(2) "प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न होने पर ऐसे समस्त अन्य शब्दों तथा पदों के, जो इस नियमों में प्रयुक्त किये गये हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः दिये गये हों और ऐसा न होने पर उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 में दिये गये हैं ।"

नियम 3(1)– लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति उस इनर्जी को छोड़कर जिसमें प्रचलित टैरिफ के अनुसार मीटर नहीं लगाया जाता है और जिसके लिये उसी प्रकार जारी रहने के निमित्त गजट में इस नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक से दो माह के भीतर लिखित रुप में विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जनित, सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी को अभिलिखित करने के लिये ठीक प्रकार से मीटर की व्यवस्था करेंगे और उन्हें उचित दशा में रखेंगे और प्रतिमाह या सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर उनकी रीडिंग अभिलिखित करेंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि "अन्य व्यक्ति" की दशा में जहां मीटर का प्रबन्ध न हो, वहां इस नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक के छः माह के भीतर अथवा विद्युत निरीक्षक को इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिये जाने पर ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि वह अनुमति दे इसकी व्यवस्था की जायगी ।

----2

2(क) उप नियम (1) में उल्लिखित मीटर ठीक समझे जायेंगे यदि वे इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 के नियम 57 के उप नियम (1) और उप नियम (2) के अनुरुप हों और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हों ।

(ख) लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 के नियम 57 के उप नियम (4) तथा उप नियम (5) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके पास परीक्षण की अपनी व्यवस्था न हो, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 के नियम 7 के अधीन नियत फीस का भुगतान किये जाने पर विद्युत निरीक्षक मीटर का परीक्षण करेगा या अपने द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करानें की अनुमति देगा ।

(3) यदि इनर्जी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाती हो अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा सम्भरित की जाती हो तो लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी या यदि इनर्जी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त की जाती हो तो अन्य व्यक्ति उस माह की समाप्ति के पश्चात जिसमें मीटर रीडिंग अभिलिखित की गयी थी, आगामी दो माह के भीतर उप नियम (1) के अधीन अभिलिखित एनर्जी पर किसी माह में देय ड्यूटी की धनराशि सरकारी कोषागार में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा–"0043–विद्युत पर कर तथा शुल्क–101–विद्युत के उपभोग और विक्री पर कर" और विद्युत निरीक्षक को सूचित करते हुये कोषागार चालान की प्राप्तांकित प्रति सम्बन्धित सहायक विद्युत निरीक्षक को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि वह दो माह की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 13 दिन के भीतर उसे मिल जाय ।

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप नियम (1) में अभिदिष्ट मीटर लाइसेंसी या नियुक्त अधिकारी द्वारा अथवा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26(6) के अधीन विद्युत निरीक्षक द्वारा परीक्षण करने पर धीमा चलता हुआ पाया जाय तो वह माह जिसमें परीक्षण सूचित किया जाय, अवधारण के परिणामस्वरुप भारणीय अतिरिक्त इकाइयों (यूनिटों) पर ड्यूटी के भुगतान के प्रयोजनार्थ ऊपर अभिदिष्ट मीटर रीडिंग अभिलिखित करने के माह के रुप में लिया जायगा ।

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ताओं से वसूल करने पर ऐसी ड्यूटी शुल्क, जो 31अगस्त, 1970 को या उससे पूर्व लगाया गया हो, लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उस माह की, जिसमें वह वसूल किया गया हो, समाप्ति के तीस दिन के भीतर उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सरकारी कोषागार में जमा किया जायेगा और कोषागार चालान, धनराशि को जमा करने के दस दिन के भीतर सम्बन्द्ध सहायक विद्युत निरीक्षक को भेजा जायगा ।

तृतीय प्रतिबन्ध यह है कि उन मामलों में जिनमें लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा एनर्जी के उपभोग के सम्बन्ध में ड्यूटी का भुगतान उस ड्यूटी से अधिक कर दिया गया हो, जो 31अगस्त, 1970 तक प्रवृत्त अधिनियम के अधीन देय था तो विद्युत निरीक्षक अधिक ड्यूटी को उपभोक्ताओं के अनुवर्ती बिल या बिलों में समायोजन द्वारा वापस करने के लिये अथवा यदि उन्होनें पूर्ति लेना (सप्लाई) बन्द कर दिया हो तो नकद में भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करेगा ।

(4) इस नियमावली के उप नियम (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर ड्यूटी की धनराशि जमा न किये जाने के फलस्वरुप अदत्त ड्यूटी की धनराशि पर ब्याज, जो 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भारणीय होगा, प्रत्येक उस माह की समाप्ति के सात दिन के भीतर, जिसके लिये ब्याज भारणीय हो, उप नियम (3) में दिये गये लेखा शीर्षक के अन्तर्गत एक अलग कोषागार चालान द्वारा सरकारी कोषागार में जमा किया जायगा और कोषागार चालान की

----3

प्राप्तांकित प्रति विद्युत निरीक्षक को सूचित करते हुये सम्बद्ध सहायक विद्युत निरीक्षक को इस प्रकार प्रस्तुत की जायेगी जिससे कि वह उस माह की दस तारीख तक उसे मिल जाये ।

(5) ड्यूटी के भुगतान का अपबंचन करने या अपबंचन करने का प्रयास करने के लिये नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन आरोपित शास्ति की धनराशि आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप नियम (3) में दिये गये शीर्षक के अन्तर्गत एक पृथक कोषागार चालान द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी और कोषागार चालान की प्राप्तांकित प्रति उप विद्युत निरीक्षक को इस प्रकार प्रस्तुत की जायेगी कि वह धनराशि जमा करने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसे मिल जाय ।

(6) नियम 11 के उप नियम (3) के अधीन अवधारित ड्यूटी और तद्धीन आरोपित शास्ति की धनराशि, यदि कोई हो, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप नियम (3) के अधीन उल्लिखित शीर्षक के अन्तर्गत सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी और प्राप्तांकित कोषागार चालान की प्रति उप विद्युत निरीक्षक को इस प्रकार भेजी जायेगी जिससे कि वह धनराशि को जमा करने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसे मिल जाये ।

(7) यदि ड्यूटी व्याज या शास्ति की धनराशि के सम्बन्ध में कोषागार चालान की प्राप्तांकित प्रति उप नियम (3), (4), (5) या (6) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की जाती है तो लाइसेंसी, नियत प्राधिकारी या सम्बद्ध अन्य व्यक्ति कोषागार चालान को प्रस्तुत करने में होने वाले विलम्ब के लिये उप नियम (3) में दिये गये शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि का भी भुगतान सरकारी कोषागार में निक्षेप द्वारा करेगा–

	रुपये
(1) 15 दिन की अवधि तक	10.00
(2) 15 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक	25.00
(3) 30 दिन से अधिक तथा 60 दिन तक	60.00
(4) 60 दिन से अधिक	100.00

(8) यदि अधिनियम के अधीन देय ड्यूटी, व्याज या शास्ति की धनराशि से अधिक ड्यूटी, व्याज या शास्ति की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी जाय तो यह लाइसेंसी, नियुक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक समायोजित नहीं की जायेगी जब तक कि उप विद्युत निरीक्षक ड्यूटी, व्याज या शास्ति की ऐसी अधिक जमा की गयी धनराशि की वापसी के लिये लिखित रुप से स्वीकृति न दे ।

नियम 4– ड्यूटी का हिसाब लगाने की रीति–

(1) 1 सितम्बर, 1970 और तत्पश्चात अभिलिखित की गयी प्रथम मीटर रीडिंग जिसे यहां आगे "प्रथम पूर्वोक्त अवधि" (पीरियड फर्स्ट एफोरसेड) कहा गया है, के दिनांक के बीच की अवधि में सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी के सम्बन्ध में देय ड्यूटी का आंकलन दिनांक 1 सितम्बर, 1970 के ठीक पहले और उसके ठीक बाद की रीडिंग के बीच की अवधि में, जिसे यहां आगे "द्वितीय पूर्वोक्त अवधि" (पीरियड सेकेण्ड एफोरसेड) कहा गया है, कुल उपभुक्त एनर्जी पर निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

------4

उस दशा में जब यदि प्रथम मीटर रीडिंग पूर्वोक्त अवधि		द्वितीय पूर्वोक्त अवधि के दौरान संभरित या उपभुक्त एनर्जी का ऐसा भाग जिस पर ड्यूटी उस दर पर ली जायेगी जो 1 सितम्बर, 1970 के ठीक पूर्व लागू था ।	द्वितीय पूर्वोक्त अवधि के दौरान संभरित या एनर्जी का ऐसा भाग जिस पर ड्यूटी उस दर पर ली जायेगी जो 1सितम्बर, 1970 से प्रवृत्त है ।	
1	2	3	4	
(क)प्रतिमाह की जाती हो	(1)	8 दिन से कम हो	कुल	शून्य
	(2)	8 दिन या उससे अधिक किन्तु 16 दिन से कम हो	3/4	1/4
	(3)	16 दिन या उससे अधिक किन्तु 24 दिन से कम हो	1/2	1/2
	(4)	24 दिन या उससे अधिक किन्तु 32 दिन से कम हो	1/4	3/4
	(5)	32 दिन या उससे अधिक हो	शून्य	कुल
(ख)दो माह पर की जाती हो	(1)	15 दिन से कम हो	कुल	शून्य
	(2)	15 दिन या उससे अधिक किन्तु 30 दिन से कम हो	3/4	1/4
	(3)	30 दिन या उससे अधिक किन्तु 45 दिन से कम हो	1/2	1/2
	(4)	45 दिन या उससे अधिक किन्तु 60 दिन से कम हो	1/4	3/4
	(5)	60 दिन या उससे अधिक हो	शून्य	कुल

प्रतिबन्ध यह है कि 1 सितम्बर, 1970 को या उसके पश्चात अभिलिखित की गयी संभरित या उपभुक्त एनर्जी के सम्बन्ध में भुगतान नियम 3 के उप नियम (3) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि यदि टैरिफ के अन्तर्गत एनर्जी की पूर्ति मीटर मापित न हो तो लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी सम्भरित एनर्जी का आंकलन विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित आधार पर करेगा ।

तृतीय प्रतिबन्ध यह है कि यदि 1 सितम्बर, 1970 के पूर्व और तत्पश्चात मीटर लगाये जाने के दिनांक के बीच अन्य व्यक्ति द्वारा एनर्जी उपभुक्त की गयी हो तो उसका आंकलन उप विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा और अन्य व्यक्ति उसका भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह उसी रीति से करेगा जैसाकि मीटर अधिष्ठापित (इन्स्टाल्ड) होने की दशा में किया जाता है ।

----5

(2) किसी विशेष अनुसूचित दर संभरित कुल एनर्जी पर ड्यूटी जैसे रोशनी तथा पंखे, घरेलू प्रयोजनों के लिये शक्ति (डामेस्टिक पावर) सिनेमा या औद्योगिक अथवा चालन शक्ति, किन्तु मिक्स्ड लोड टैरिफ, को छोड़कर जिसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनों के लिये और कारखाने के बाहर घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिये एनर्जी की पूर्ति भी हो सकती है । चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये उपभुक्त क्यों न की जाय, सरकार द्वारा उस वर्ग की पूर्ति या उपभोग के लिये नियत दर पर लगायी जायेगी ।

(3) उस दशा में जहां विद्युत शक्ति की पूर्ति मिक्स्ड लोड टैरिफ पर की जाती हो, जब तक कि विद्युत निरीक्षक के संतोषानुसार विभिन्न वर्गो के उपभोग के लिये मीटर लगाने (मीटरिंग) का उचित प्रबन्ध न हो, उक्त टैरिफ के लिये ड्यूटी कुल उपभोग के 20 प्रतिशत पर, रोशनी तथा पंखे और अन्य प्रयोजनों के लिये निश्चित दर पर लगायी जायेगी और उपभोग के शेष 80 प्रतिशत पर ड्यूटी औद्योगिक उपभोग के लिये निश्चित दर पर लगायी जायेगी ।

नियम 4(4) उन मामलों में जिनमें औद्योगिक टैरिफ संभरित एनर्जी का उपभोग निवास स्थानों अथवा कर्मचारियों के कालोनी आदि में रोशनी तथा पंखे और अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता हो और इसके निमित सम्भरणकर्ता (सप्लायर) द्वारा औद्योगिक एनर्जी के लिये नियत टैरिफ के साथ साथ अतिरिक्त चार्ज लगाया जाता हो तो सम्पूर्ण उपभोग पर ड्यूटी, औद्योगिक उपभोग के लिये निर्धारित दर पर देय होगे और इसके अतिरिक्त यह लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा वसूल की गयी अतिरिक्त धनराशि पर भी रोशनी तथा पंखे और या अन्य उपभोग पर लगाने के लिये नियत दर पर दी जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि उन मामलों में जिनमें औद्योगिक टैरिफ पर सम्भरित एनर्जी का उपभोग रोशनी तथा पंखों के लिये किया जाता हो, ड्यूटी की संगणना करने के लिये संभरित एनर्जी रोशनी तथा पंखे की दर पर बेची गयी समझी जायेगी ।

नियम 5- लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति द्वारा देय ड्यूटी की धनराशि पैंसों को 5 पैसे के गुणांक में गुणांकित करके जमा की जायेगी, 2 पैसे या उससे कम की धनराशि छोड़ दी जायेगी तथा 2 पैसे से अधिक की धनराशि 5 पैसे कर दी जायेगी ।

नियम 6 IRRECOVERABLE DUTY- Where a duty is found irrecoverable wholly or in part even after careful and diligent attempt to recover it, it may be written off by the Government.

नियम 7- लेखा बहियों का रखा जाना- उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने स्थानीय कार्यालय में रखे जाने वाले लेखा बहियों में निम्नलिखित विवरण होंगे -

(क) विवरण जिसमें मीटर रीडिंग सहित जनित, क्रीत, वितरित तथा उपभुक्त एनर्जी की मात्रा दी जायेगी ।

(ख) एनर्जी उपभुक्त या संभरित करने वाले व्यक्ति का नाम तथा सर्विस कनेक्शन नम्बर।

(ग) उस भू-गृहादि का संक्षिप्त विवरण जहां पर एनर्जी या उपभुक्त या संभरित की जाती हो तथा प्रयोजन जिसके लिये एनर्जी उपभुक्त होती है।

(घ) मीटर रीडिंग अभिलिखित करने का दिनांक तथा माह और प्रत्येक वर्ग के लिये अलग अलग संभरित या उपभुक्त इकाइयां ।

(ड) प्रत्येक वर्ग के लिये पूर्ति (सप्लाई) की दर ।

-----6

(च) अधिनियम के अधीन ड्यूटी से मुक्त प्रत्येक वर्ग में जनित सम्भरित तथा उपभुक्त एनर्जी का विवरण ।

(छ) देय ड्यूटी की धनराशि तथा जमा की गयी ड्यूटी की धनराशि तथा उसका विवरण ।

(ज) ड्यूटी जमा करने का दिनांक तथा उन कोषागार चालानों की संख्या, जिनके द्वारा वह जमा की गयी ।

(झ) उपभोक्ताओं से वसूल की गयी ड्यूटी की धनराशि तथा उसका विवरण उपरलिखित विवरणों के अतिरिक्त, लाइसेंसी बोर्ड के नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति निम्नलिखित विवरण भी रखेंगे–

(1)समय से ड्यूटी की धनराशि न जमा करने के कारण उस पर देय व्याज की धनराशि का विवरण ।

(2) व्याज की धनराशि जमा करने का दिनांक तथा उस कोषागार चालान की संख्या, जिसके द्वारा वह जमा की गयी ।

(3) ड्यूटी का भुगतान करने से अपवंचित होने या अपवंचन का प्रयास करने के लिये शास्ति स्वरुप आरोपित जमा की गयी धनराशि का विवरण ।

(4) उस कोषागार चालान की संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा आरोपित शास्ति की धनराशि जमा की गयी:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को सम्भरित एनर्जी के लिये उक्त लेखे के उपर्युक्त विवरण नियुक्त प्राधिकारी के कार्यालय के बजाये अलग अधिकारी के कार्यालय में रखे जा सकते हैं, किन्तु उनके निरीक्षण के लिये नियुक्त प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे दिनांक को, जो सहायक विद्युत निरीक्षक द्वारा निश्चित किया जायेगा और नियुक्त प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा, प्रस्तुत किये जायेगे ।

नियम 8– विवरणियों का प्रस्तुतीकरण– लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति–

(क) यहां अनुलग्न संलग्न प्रपत्र "क" में विवरणों दो प्रतियों में अर्द्ध वर्ष, जिससे विवरणी सम्बन्धित हो, की समाप्ति के 60 दिन के भीतर और

(ख) यहां अनुलग्न संलग्न प्रपत्र "ख" में विवरणी दो प्रतियों में 31 मार्च की समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के 3 माह के भीतर, विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे ।

नियम 9– लेखा बहियों का निरीक्षण– अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षणाधिकारी किसी भी समय किसी लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड या किसी अन्य कार्यालय में ऐसी बहियां और अभिलेख, जो उसके कब्जे या नियंत्रण में हो और जो अधिनियम के अधीन उसके द्वारा लगाने योग्य ड्यूटी की धनराशि को सुनिश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक हो, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करें ।

नियम 10– निरीक्षणाधिकारियों को प्रवेश करने का अधिकार–

(1) कोई निरीक्षणाधिकारी किसी ऐसे भू–गृहादि में जहां एनर्जी जनित, सम्भरित या उपभुक्त की जाती हो अथवा जहां एनर्जी जनित, सम्भरित या उपभुक्त किये जाने का विश्वास हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिये प्रवेश कर सकता है:–

(क) लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गयी लेखा बहियों में दिये गये विवरणों और प्रस्तुत की गयी विवरणियों का सत्यापन करने,

––––7

(ख) मीटर रीडिंग की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर मीटरों को सील करने, और

(ग) ड्यूटी लगाने और उसका भुगतान करने के सम्बन्ध में अपेक्षित व्यौरों का सत्यापन करने ।

(2) निरीक्षणाधिकारी को अपना यह समाधान करने के लिये कि अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों का यथोचित रुप से पालन किया जा रहा है, यथावश्यक परीक्षण तथा जांच करने के लिये, सब समयों पर, प्रत्येक लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी, अन्य व्यक्ति या उपभोक्ता सभी उचित सुविधायें देगा ।

नियम 11–निरीक्षणाधिकारियों के अन्य अधिकार तथा कर्तव्य–

(1)कोई भी निरीक्षणाधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, क्रमशः नियम 7 तथा 8 के अधीन किसी भी लाइसेंन्सी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गयी लेखा बहियों और प्रस्तुत की गयी विवरणियों की जांच करेगा और लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित व्यौरों का, जहां तक उसका सम्बन्ध ड्यूटी लगाने तथा उसका भुगतान करने से है, प्रमाणित करने के लिये हर एक इन्दराज की व्यौरेवार जांच करेगा और निम्नलिखित के सम्बन्ध में किये गये सभी इन्दराजों तथा अभिलेखों की भी जांच करेगा–

(1) ड्यूटी से छूट और

(2) समायोजन जो लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत हो तथा वास्तव में किया गया हो

(2)लाइसेंसी, बोर्ड से नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात उप विद्युत निरीक्षक ड्यूटी का भुगतान करने से अपवंचित होने या अपवंचन का प्रयास करने के लिये आरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि अवधारित करेगा, ऐसी अवधि के लिये ड्यूटी की धनराशि निर्धारित करेगा और यथास्थिति लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को लिखित रुप में ड्यूटी शास्ति की धनराशि सूचित करेगा ।

(3) नियम 10 के उप नियम (ख) के अधीन किसी निरीक्षणाधिकारी द्वारा मीटर पर लगाई गयी सील, यदि किसी अनुवर्ती निरीक्षण के समय टूटी पाई जाये तो उप विद्युत निरीक्षक, लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात सील के लगाये जाने के दिनांक और सील टूटी पाई जाने के दिनांक के बीच की अवधि में सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की मात्रा का अनुमान लगायेगा ।वह ऐसे व्यतिक्रम के लिये लगाये जाने वाले शास्ति की धनराशि भी अवधारित करेगा और लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को शास्ति तथा देय ड्यूटी की धनराशि लिखित रुप में सूचित करेगा ।

नियम 12– अलग अलग मीटरों के लगाने की व्यवस्था–

यदि ऐसा संयुक्त अधिष्ठापन हो जिसमें सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी का कुछ भाग ड्यूटी योग्य हो और कुछ भाग ड्यूटी से मुक्त हो और यदि सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी का उपयोग ऐसे वर्गो के लिये किया जाता हो जिनके लिये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरें भिन्न भिन्न हो तो लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति उपभोग के विभिन्न प्रकारों की मात्रा अलग अलग रुप से स्वतः अंकित करने के लिये पृथक, उपयुक्त तथा ठीक मीटरों या सब मीटरों की व्यवस्था करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त एनर्जी को अलग अलग अभिलिखित करने के लिये किसी उपभोक्ता ने पहले से ही उपयुक्त तथा ठीक मीटर लगाये हो तो लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिये अलग से मीटर या सब मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं

–––––8

होंगी किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये मीटरों को अच्छी तरह ठीक दशा में रखने का उत्तरदायित्व लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी पर होगा और हर मामले में वह इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26 के उप धारा (4) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का हकदार होगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता के लिये यह भी बाध्यकर होगा कि वह कनेक्शन लेते समय लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी की उन प्रयोजनों से जिनके लिये उसके द्वारा एनर्जी उपभुक्त की जायेगी, अवगत कराये और पूर्ति आरम्भ होने के पश्चात यदि उसके द्वारा उपभोग की रीति में कोई ऐसा परिवर्तन करना प्रस्तावित हो, जिसके लिये ड्यूटी लगाये जाने की दर भिन्न हो तो वह, यथास्थिति लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी को परिवर्तन करने से पन्द्रह दिन पूर्व इसकी सूचना भी देगा ।

नियम–13– लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी और उनके उपभोक्ताओं के बीच विवाद–

ड्यूटी लगाने की दर या वसूल की गयी ड्यूटी की धनराशि के सम्बन्ध में लाइसेंसधारियों या नियुक्त प्राधिकारियों और उनके उपभोक्ताओं के बीच विवाद निर्णय के लिये विद्युत निरीक्षक को अभिदिष्ट किये जायेगे ।

13–क–अपील (1) कोई अपील

(क)नियम 11 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन उप विद्युत निरीक्षक द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध विद्युत निरीक्षक को की जायेगी और उसका निर्णय नियम 11 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन शास्ति की धनराशि के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय को छोड़कर, अन्तिम होगा ।

(ख)–नियम 13 के अधीन या नियम 14 के उप नियम (2) के अधीन उप विद्युत निरीक्षक द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध विद्युत निरीक्षक को की जायेगी और विद्युत निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग)–नियम 11 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन अपील में उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरुद्ध जहां तक उसका सम्बन्ध केवल शास्ति की धनराशि से है, राज्य सरकार द्वारा सामान्यतया या विशेषतया नियुक्त हो, प्राधिकारी को की जायेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(क)(2)– प्रत्येक अपील लिखित रुप में होगी और उसके साथ उस आदेश या निर्णय की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो और नियम 13–ख के अधीन नियत फीस का भुगतान करने के प्रतीक स्वरुप कोषागार चालान की एक प्राप्तांकित प्रति होगी ।

कोई अपील उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो, तामील किये जाने के दिनांक से 90 दिन के पश्चात ग्रहण नहीं की जायेगी ।

(ख)(1)– विवाद और अपील के मामलों में निम्नलिखित फीस लगाई जायेगी–

(क)नियम 13 के अधीन विवाद	रु0 25
(ख)नियम 13 क के उप नियम (1)(क)के अधीन अपील के लिये	रु0 250
(ग)नियम 13 क के उप नियम 1(ख)के अधीन अपील के लिये	रु0 50
(घ)नियम 13क के उप नियम 1(ग)के अधीन अपील के लिये	रु0 250

(ख)(2)–विद्युत निरीक्षक या उप विद्युत निरीक्षक, जैसी भी दशा हो, अपना निर्णय देते समय यह भी निश्चित करेगा कि उप नियम (1)की मद (क)या मद (ग)के अधीन

-----9

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भ में भुगतान की गयी फीस कैसे और किस अनुपात में उपभोक्ता या लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा वहन की जायेगी ।

(ख)(3)–ऊपर उप नियम (।) के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) के अधीन देय फीस के 30 प्रतिशत को छोड़कर समस्त फीस, जिसका भुगतान अपील सुनने वाले प्राधिकारी को अग्रिम रुप से सीधे किया जायेगा, सरकारी कोषागार में शीर्षक " XIII–अन्य कर और शुल्क विद्युत शुल्क से प्राप्तियां (3) अन्य प्राप्तियां (ख)अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत अग्रिम रुप से जमा की जायेगी और कोषागार चालान की प्राप्तांकित प्रति सदैव विद्युत निरीक्षक को सूचित करते हुये अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ।

अपील के लिये भुगतान की गयी फीस की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि की वापसी अपील प्राधिकारी के विवेकानुसार की जायेगी ।

नियम 14–मीटर की शुद्धता की जांच तथा उपभुक्त एनर्जी का अनुमान–

(।)सन्देह होने के कारण यदि अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षणाधिकारी किसी मीटर की शुद्धता की जांच विद्युत निरीक्षक द्वारा करवाना आवश्यक समझता है, जिसकी आवश्यकता समान्यतः वर्ष में एक बार से अधिक नहीं होगी, उस दशा को छोड़कर जबकि मीटर अंकित (रजिस्टर) करना बंद कर दे अथवा अभिदिष्ट किये जाने पर उप विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक का यह समाधान हो जाने पर कि मीटर की शुद्धता संन्देहात्मक है तो लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति, निरीक्षणाधिकारी के आदेश के एक माह के भीतर उस मीटर को एक दूसरे उपयुक्त एवं ठीक मीटर से बदल देगा और इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स, 1956 के नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा मीटर की जांच के लिये नियत फीस जमा करेगा और जांच की फीस के सम्बन्ध में कोषागार चालान की प्राप्तांकित प्रति के साथ–साथ मीटर की अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने के लिये उसके कार्यालय में भेजेगा ।

(2) उक्त जांच का परिणाम, जो अन्तिम और बन्धनकारी होगा निरीक्षणाधिकारी, उप विद्युत निरीक्षक तथा लाइसेंसी नियुक्त प्राधिकारी या अन्य सम्बद्ध व्यक्ति को लिखित रुप से सूचित किया जायेगा तथा उस पर निरीक्षणाधिकारी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुये उप विद्युत निरीक्षक, ऐसी अवधि के, जो उसकी शुद्धता के सम्बन्ध में सन्देह होने के दिनांक के पूर्व 6 महीने अधिक न होगा, दौरान सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की मात्रा के बारे में ऐसा अनुमान करेगा मानों उसकी राय में ऐसा मीटर ठीक न रहा हो और तदानुसार उसी आधार पर उक्त अवधि के लिये ड्यूटी लगायी जायेगी ।

(3) जांच का परिणाम प्राप्त होने पर लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक के कार्यालय से मीटर प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा और यदि मीटर ठीक पाया जाय तो वह ऐसी जांच के लिये उसके द्वारा जमा की गयी फीस को वापस पाने का हकदार होगा ।

नियम 15–(अधिसूचना संख्या 500–पी–3/97–24–1–टी0पी0/85, दिनांक 18 अगस्त, 1997 द्वारा निकाल दिया गया)।

नियम 16–अभियोजन की अवधि– (।)कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि निरीक्षणाधिकारी को अभिकथित अपराध की जानकारी कराये जाने के दिनांक से तीन महीनें के भीतर उसकी शिकायत न की जाय ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी कृत अपराध का तब तक संज्ञान नहीं किया जायेगा जब तक कि वह किये जाने के दिनांक से 24 महीने के भीतर निरीक्षणाधिकारी की जानकारी में न लाया जाय.

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपराध निरीक्षणाधिकारी के लिखित आदेश की अवहेलना करने का हो तो उसकी शिकायत किये गये अभिकथित अपराध के छः महीने के भीतर की जा सकती है ।

(2) सिवाय विद्युत निरीक्षक या उप विद्युत निरीक्षक की शिकायत पर इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

प्रपत्र "क"

विवरणी जिसमें 30 सितम्बर/31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिये पूरित या उपभुक्त विद्युत शक्ति, उस पर लगाये जाने योग्य तथा सरकार को वस्तुतः भुगतान की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है ।

1- लाइसेंसी, नियुक्त प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति का नाम.....

2- अभिलिखित मीटर रीडिंग के अनुसार जनित या क्रीत विद्युत शक्ति (किलोवाट आवर में)....

निम्नलिखित माह में	जनित	क्रीत	(मद 2 और 3) का योग
1	2	3	4
फरवरी/ अगस्त			
मार्च/ सितम्बर			
अप्रैल/ अक्टूबर			
मई/ नवम्बर			
जून/ दिसम्बर			
जुलाई/ जनवरी			
योग			
अगस्त/ फरवरी			
सितम्बर/ मार्च			

3- घटाइये- ड्यूटी से मुक्त अभिलिखित मीटर रीडिंग के अनुसार एनर्जी

निम्नलिखित माह में	लाइसेंसी तथा नियुक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्माण अनुरक्षण या चलाने में उपभुक्त	अन्य व्यक्तियों द्वारा एनर्जी के जनन के प्रयोजनार्थ उपभुक्त	केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त	राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त	किसी रेलवे के निर्माण, अनुरक्षण या चलाने में उपभुक्त	कृषक द्वारा अपने खेत में या खेत के निकट किये गये कृषि कार्यों में उपभुक्त	इलेक्ट्रिसिटी ड्यू से भुगत कुल एनर्जी(2से7 त के स्तम्भों का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8
फरवरी/ अगस्त							
मार्च/ सितम्बर							
अप्रैल/ अक्टूबर							
मई/ नवम्बर							
जून/ दिसम्बर							
जुलाई/ जनवरी							
योग							
अगस्त/ फरवरी							
सितम्बर/ मार्च							

4- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगने योग्य शुद्ध एनर्जी (मद 2 के चौथे स्तम्भ में ** से अंकित तथा मद 3 के 3 स्तम्भ में * से अंकित का अन्तर)

5- प्रत्येक वर्ग के लिये पृथक रुप से ऐसी सम्भरित या उपभुक्त विद्युत शक्ति (किलोवाट आवर में) जिस फरवरी/अगस्त से जुलाई/जनवरी तक की गयी मीटर रीडिंग के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय है, उसकी भारित इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर तथा धनराशि ।

वर्ग	परिव्यय की दर	सांभरित उपभुक्त(किलोवाट आवर में)	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि
1	2	3	4	5
(क)रोशनी तथा पंखा				
(ख)घरेलू विद्युत एनर्जी				
(ग)औद्योगिक प्रयोजन				
(घ).....				
(ड.).....				
(च).....				
योग...				

6– मद 4 तथा मद 5 के स्तम्भ 3 में उल्लिखित संभरित/उपभुक्त एनर्जी के आंकड़ों में अंतर, यदि कोई हो उसका कारण और औचित्य ।

7–(क)इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान का विवरण ।

माह जिसमें मीटर रीडिंग की गई हो	ड्यूटी का भुगतान देय हो	देय ड्यूटी की धनराशि	निर्धारित समय में किया गया भुगतान कोषागार चालान की संख्या तथा दिनांक	धनराशि	निर्धारित समय के पश्चात किया गया भुगतान कोषागार चालान की संख्या तथा दिनांक	धनराशि	माह जिसकी बकाया धनराशि के सम्बन्ध में देयों का भुगतान किया	अभ्युक्ति यदि को
1	2	3	4	5	6	7	8	9
फरवरी/अगस्त	..अप्रैल/अक्टूबर							
मार्च/सितम्बर	..मई/नवम्बर							
अप्रैल/अक्टूबर	..जून/दिसम्बर							
मई/नवम्बर	..जुलाई/जनवरी							
जून/दिसम्बर	..अगस्त/फरवरी							
जुलाई/जनवरी	..सितम्बर/मार्च							
30 सितम्बर/31 मार्च को समाप्त अर्ध वर्ष के दौरान योग								

(ख)भुगतान की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि (स्तम्भ 4 तथा 6 की धनराशि)का कुल योग.....

8– अर्द्ध वर्ष के दौरान देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि, व्याज तथा शास्ति किये गये वास्तविक भुगतान धनराशि का बकाया ।

भुगतान का विवरण

माह	देय धनराशि					किये गये वास्तविक भुगतान की धनराशि				
	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	व्याज	शास्ति	पिछला बकाया	योग	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	व्याज	शास्ति	बकाया जिसका भुगतान किया गया	योग अग बक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल/अक्टूबर										
मई/नवम्बर										
जून/दिसम्बर										
जुलाई/जनवरी										
अगस्त/फरवरी										
दिसम्बर/मार्च										
योग										

9– संलग्न अनुसूची 1 के अनुसार नियम–3 के उप नियम (8) के अधीन समायोजन के लिये प्राधिकृत इलें ड्यूटी की धनराशि.....रु0 ।

10– संलग्न अनुसूची 2 के अनुसार नियम 6 के अधीन बट्टे खाते में डाली गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की ऋण की धनराशि.....रु0 ।

11- आदेश संख्या .....दिनांक..... द्वारा नियम 13-क के उप नियम (1) के अधीन जारी किये गये आदेशों के अनुसार कम की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या शास्ति की धनराशि.....रु0.....

मद 9, 10 और 11 का योग.....रु0.....रु0

12-बकाये की शुद्ध धनराशि मद 8 में दिये गये कुल बकाये तथा (मद 9,10 और 11 में उल्लिखित धनराशि योग का अन्तर).....रु0 आकार "क" की अनुसूची 1 (अर्द्ध वार्षिक विवरणी) इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि जो नियम 3 के उप नियम(8) के अधीन 30 सितम्बर/31 मार्च को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष में समायोजित की गयी ।

उपक्रम (अन्डरटेकिंग) का नाम----------

क्रम संख्या	सर्विस कने-क्शन संख्या	उपभोक्ता का नाम और पता	लौटाई गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि	खाता लेखा संख्या	विद्युत निरीक्षक की स्वीकृति संख्या और दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आकार "क" की अनुसूची 2 (अर्द्धवार्षिक विवरणी) इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि जो नियम 6 के अधीन 30सितम्बर/31मार्च को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष में बट्टे खाते में डाली गयी (रिटेन आफ)

उपक्रम (अन्डरटेकिंग) का नाम.....

क्रम संख्या	सर्विस कने-क्शन संख्या	उपभोक्ता का नाम और पता	बट्टे खाते में डाली गयी ड्यूटी की धनराशि	खाता लेखा संख्या	सरकार की स्वीकृति संख्या और दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र "ख"

31 मार्च, 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विवरणी ।

1- लाइसेंसी या अन्य व्यक्ति का नाम .....

2-(क) 31 मार्च, 19.....को समाप्त होने वाले पिछले विवरणी में दिखाया गया शेष..... रु0.....

(ख)सरकार को वर्ष 19....19.....के लिये स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित और संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित के प्रति देय धनराशि .....

(एक)इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ..रु0...

(दो)व्याज ..रु0...

(तीन)शास्ति ..रु0...

(क) और (ख) का योग ..रु0...

3-(क)राज्य सरकार के पास जमा की गयी धनराशि जैसा कि संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में दिखाया गया है । रु0.....

(ख)समायोजन के लिये प्राधिकृत धनराशि रु0.....

(ग)बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण रु0.....

(घ)शास्ति या ड्यूटी की धनराशि जिसमें से (क), (ख) और (ग)की धनराशि का योग कम किया गया हो रु0.....

31मार्च 19 को अदत्त शेष रु0.....

आकार "ख" की अनुसूची

लाइसेंसी नियत अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति का नाम----------

वर्ष (19..19 ..माह	पूरित या उपभुक्त विद्युत शक्ति पर देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	देय व्याज की धन-राशि, यदि कोई हो	नियम 11(2)और (3)के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार शास्ति की धनराशि	राज्य सर-कार में जमा की गई धनराशि	समायोजन के लिये प्राधिकृत धनराशि	बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शास्ति या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कम की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल							
मई							
जून							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
दिसम्बर							
जनवरी							
फरवरी							
मार्च							
योग..							